

न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, सी. आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 01/2018 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

मदन लाल कुमावत पुत्र मंगलाराम, जाति कुमावत, निवासी लिखमा का बास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.)।

अपीलान्त

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:-

1. श्री सुरेश कुमावत अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, दांतारामगढ़ रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 12.12.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांक: 30 जुलाई, 2019

1. अपीलान्त ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि:-

(1) अपीलान्त के पक्ष में जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा उचित मूल्य की दुकान ग्राम लिखमा का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के लिए डीलरशिप के प्राधिकार पत्र जारी किया गया है तथा दिनांक 12.12.2017 को अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को कोई अवलोकन न कर सरसरी दृष्टि से ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त ने अपना स्पष्टीकरण मय प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं करके उसको गोलमाल जवाब करार दे दिया।

(2) अपीलान्त को राशन वितरण हेतु पोस मशीन दी गई थी, जिसमें किसी भी खराबी के लिए अपीलान्त को गलत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है तथा रसद विभाग स्वयं ही मानता कि उक्त पोस मशीन से राशन वितरण किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की कोई सम्भावना नहीं है। इस उद्देश्य से पोस मशीन से राशन वितरण किये जाने का निर्णय किया गया था।



(3) अपीलान्त पर मुख्य आरोप लगाया गया है कि उसने 66 राशन कार्डों में ऑनलाईन राशन वितरण दर्शाया गया है जबकि मूल राशन कार्डों में राशन वितरण का इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार डीलर ने गलत रूप से राशन वितरण न करके गबन किया है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था तथा यह अंकित किया था कि राशन वितरण प्रणाली पोस मशीन से होती है, जिसमें परिवार के सदस्य को ही उपस्थित होने पर राशन वितरण किया जाता है। कुछ उपभोक्ता मौके पर राशन कार्ड नहीं लाने के कारण घर पर फोन करके राशन कार्ड नम्बर प्राप्त करते हैं फिर उस राशन कार्ड नम्बर के आधार पर राशन वितरण प्रक्रिया होती है, जिसमें डीलर द्वारा गड़बड़ किये जाने की कोई सम्भावना नहीं होती है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2017 पारित करने से पूर्व इस बात पर कतई ध्यान नहीं किया कि अपीलान्त को कारण बताओ नोटिस दिये जाने के पश्चात अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण अपीलान्त का प्राधिकार पत्र गलत रूप से निरस्त किया गया है।

अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकरी सीकर के आदेश दिनांक 12.12.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांत का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से इन्द्रपाल मीणा प्रवर्तन निरीक्षक दांतारामगढ़ उपस्थित आये।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. वकील अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि राशन वितरण प्रणाली पोस मशीन से होती है, जिसमें परिवार के सदस्य को ही उपस्थित होने पर राशन वितरण किया जाता है। कुछ उपभोक्ता मौके पर राशन कार्ड नहीं लाने के कारण घर पर फोन करके राशन कार्ड नम्बर प्राप्त करते हैं फिर उस राशन कार्ड नम्बर के आधार पर राशन वितरण प्रक्रिया होती है, जिसमें डीलर द्वारा गड़बड़ किये जाने की कोई सम्भावना नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को कोई अवलोकन न कर सरसरी दृष्टि से ही निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक 12.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।



M
जिला कलक्टर, सीकर

5. रेस्पोंडेंट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक दांतामगढ़ ने उपस्थित होकर अभिकथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा फर्जी वितरण दिखाकर गेहूं एवं केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है। 66 राशनकार्डों पर जिनकी मौके पर जांच की गई उनको गेहूं एवं केरोसीन ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के अनुसार नहीं दिये गये, जिनकी मात्रा 22.35 क्विं. गेहूं, 20 किग्रा. चीनी एवं 548.50 लीटर केरोसीन है। डीलर द्वारा राशनकार्ड धारकों को उचित मूल्य सामग्री का वितरण नहीं कर पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित किया है तथा उपभोक्ताओं की उचित मूल्य सामग्री की कालाबाजारी की है। अपीलान्ट के खिलाफ थाना खाटुश्यामजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो जैर कार्यवाही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमावे।
6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि :-
- (1) प्रवर्तन निरीक्षक दांतामगढ़ द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 22.08.2017 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा 66 राशनकार्डों पर गेहूं एवं केरोसीन ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के अनुसार नहीं दिये गये, जिनकी मात्रा 22.35 क्विं. गेहूं, 20 किग्रा. चीनी एवं 548.50 लीटर केरोसीन है। उक्त मौका रिपोर्ट में गबन की गई मात्रा, उपभोक्ताओं के बयान तथा हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा साथ ही राशनकार्डों की प्रतियां संलग्न हैं, जिनमें गबन होना पाया गया है।
- (2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 19.09.2017 से कारण बताओं नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.10.2019 से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलान्ट ने 66 राशनकार्डों में राशन सामग्री वितरण का इन्द्राज नहीं होना स्वीकर किया है तथा पोस मशीन से सम्बन्धित स्पष्टीकरण का भी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है।
- (3) अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 29.08.2017 को थाना खाटुश्यामजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो जैर कार्यवाही है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
7. उपरोक्त पैरा संख्या 6 तथा मूल मौका रिपोर्ट, बयान उपभोक्ता, फर्जी वितरण का सूचीबद्ध विवरण तथा ऑनलाईन वितरण रिकॉर्ड की फोटो प्रति के विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा गेहूं तथा केरोसीन तेल का दुरुपयोग करना पाया गया है। अतः उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय आज दिनांक: 30 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
 (सी. आर. मीना)
 जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर